- (ख) किन सनाचार पत्नों ने बछावत पंचाट के अनुतार अब तक अन्तरिम राहत नहीं दी है; श्रौर
- (ग) उनके विबद्ध क्या कार्यवाही की जारही है ?

श्रव मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन जो इस मामले में समुचित सरकार है, द्वारा दी गई सूचना के ग्रनुसार दिल्ली में स्थित निस्नलिखित समाचार पत्र प्रतिष्ठानों ने पालेकर श्रवाई को ग्रांशिक रूप से लागू किया है:—

- (i) मैसर्स बनेट कोलमंन लि., नई दिल्ली वर्गीकरण के मामले में प्रबंध तंत्र ने उच्चतम न्याया-लय में रिट याचिका दायर की तथा वह तारीख 20.5 81 और 4.12.81 के आदेशा-नुसार बढ़ी हुई राशि का 50 प्रतिशत दे रहा है।
- (ii) मैसर्व अल्जामियात (ग्रव बन्द हें) ।
- (iii) मैसर्स समाचार भारती (ग्रब बन्द है) ।
- (iv) मैसर्स डेली दावतें उनके भ्रापसी करार के अनुसार ग्रुप—iii की बजाय ग्रुप—iv को कातिब दिए जा रहे हें।
- (v) मैसर्स सवेरा ग्रंगकालिक श्रम जीवी पत्नकारों को उनकी पुरानी परिलब्धियां दी जा रही हें जैसा कि उनका विकल्प था।
- (vi) मैं अर्स शमा ग्रुप

प्रबंध तंत्र तारीख 28.8.80 तथा 31.3.81 के आपसी करार के अनुमार मजदूरी का भुगतान कर रहा है। अवार्ड के लाभ केवल पत्रिका कर्मचारियों को दिए जाते हैं।

दिल्ली प्रशासन को किसी समाचार-पत्न प्रतिष्ठान द्वारा अन्तरिम राहुत की श्रदायगी न किए जाने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

इस्पात और खान मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी के लिए कार्यकारी दल

3244 डा. रत्नाकर पांडे: : नया इस्पात श्रीर खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या इस्पात और खान मंद्रालय के अधीनस्य कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए कोई कार्यकारी दल या . पदाधिकारी प्रतिनिधुका है;
- (ख) क्या हिन्दी भाषो राज्यों के सभी कर्मचारि अनिवार्य रूप मे हिन्दी में काम करते हें ; ग्रौर
- (ग) यदि नहीं, तो क्या उन्हें केवल हिन्दी में काम करने के लिए निर्देश दिये जाने का विचार है ?

इस्पात ग्रीर खान मंत्री (श्री माखन लाल फोतंदार): (क) जी, हां । इस्पात ग्रीर खान मंत्रालय के ग्रधीन दो ग्रधीनस्य कार्यात्म हैं—भारतीय जांच ब्यूरो तथा भारतीय भू-सर्वेक्षण इन दोनों संगठनों के कार्यालयाध्यक्ष ग्रपने-ग्रपने कार्यालय में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए उत्तरदायी हैं तथा इन दोनों कार्यालयों में यथा ग्रपेक्षित राजभाषा कार्यान्वयन समितियां भी हैं।

- (ख) जी, नहीं।
- (ग) राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय)
 के दिनांक 23.11.87 के कार्यालय
 ज्ञापन में निहित निर्देशों के अनुसरण में
 इस मंत्रालय के अधीन क्षेत्र "क" और
 "ख" में स्थित सभी कार्यालयों को यह
 सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं कि
 हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी
 1.4.88 से कुछ विधिष्ट श्रेणियों के
 मसीदे हिन्दी में ही प्रस्तुत करेंगे।